



राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग एवं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

F. ()/NHM/Health Insurance/2015-16/ 18

Date: 09/12/15

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, (समस्त)
प्रिन्सीपल मेडिकल कॉलेज, (समस्त)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
राजस्थान।

विषय:- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पहचान करने बाबत।

संदर्भ - प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनांक 13.12.2015 से किया जाना है जिसके अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी की पहचान करने के लिए लाभार्थी को अपने राशन कार्ड/आर.एस.बी.वाई.कार्ड के साथ अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए एक स्वयंम का पहचान पत्र यदा वोटर आईडी/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पैन कार्ड/कोई अन्य पहचान पत्र लाना आवश्यक है, जिससे कि यह पुष्टि की जा सके कि लाभार्थी योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले परिवार का सदस्य है।

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.

F. ()/NHM/Health Insurance/2015-16/ 18

Date: 09/12/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम - ईमेल हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.